

सा. आ. 1275 (अ).—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में यथाउल्लिखित पात्र परियोजनाओं अथवा स्कीमों और उनकी अनुमानित लागत को विनिर्दिष्ट करती है तथा कथित सारणी के कॉलम (4) में ऐसी लागत की अधिकतम राशि को भी विनिर्दिष्ट करती है जिसे धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाता है, नामतः—

सारणी

क्र. सं.	संस्था का नाम	परियोजना अथवा स्कीम और उसकी अनुमानित लागत	धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाने वाली लागत की अधिकतम राशि
1	2	3	4
1.	इम्पैक्ट इंडिया फाउन्डेशन, नावा हाउस, 65, महर्षि कारवे रोड, मुम्बई-400002	असमर्थता कम करने संबंधी परियोजना	निर्धारण वर्ष 2003-2004, 2004-2005 तथा 2005-2006 अर्थात् केवल तीन वर्षों के लिए 590.00 लाख रुपए
2.	सीताराम सेवा ट्रस्ट, 2 पोस्ट वालिया, जिला भड़ौच (गुजरात)।	वालिया जनरल अस्पताल 150 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण/उपस्करों/ उपकरणों की खरीद तथा परियोजना के खर्चों को चलाना।	निर्धारण वर्ष 2003-2004, 2004-2005 तथा 2005-2006 अर्थात् केवल तीन वर्षों के लिए 2500.00 लाख रु. (कार्पसनिधि)
3.	श्री सत्या साईसेन्ट्रल ट्रस्ट प्रसन्ती निलायम 515314, अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश।	पीने के पानी की स्कीम	निर्धारण वर्ष 2003-2004 तथा 2004-2005 अर्थात् केवल दो वर्षों के लिए 10523.00 लाख रुपए।
4.	श्री वेंकटेश्वर प्रानंदना ट्रस्ट, टी.टी.डी. प्रशासनिक भवन, के.टी. रोड, तिरुपति-517051 (आंध्र प्रदेश)	विस्तार भवन का निर्माण, उपस्करों की खरीद तथा अस्पतालों को चलाना।	निर्धारण वर्ष 2003-2004, 2004-2005 तथा 2005-2006 अर्थात् केवल तीन वर्षों के लिए 7726.00 लाख रुपए।

2. यह अधिसूचना उक्त सारणी की क्रम संख्या 3 में उल्लिखित परियोजनाओं अथवा स्कीमों के संदर्भ में कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 तथा 2004-2005 के संबंध में दो वर्ष की अवधि के लिए तथा क्रम संख्या 1, 2 और 4 में उल्लिखित परियोजनाओं अथवा स्कीमों के संदर्भ में कर निर्धारण वर्ष 2003-2004, 2004-2005 तथा 2005-2006 के संबंध में तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेंगी।